

आदेश

कार्यवाही विवरण

अनुपालना क  
क्रमांक व दिनांक

21/12

पञ्जावली पेश हुई। राज्य सरकार/राजस्व मण्डल के द्वारा कोरोना महामारी दिशा निर्देश जारी होने पर पञ्जावली गत आदेशानुसार दिनांक 16/12 को पेश हो।

ए.सी.ई.एम. (फा. दे.)  
नवलगढ़

16/3/22

पञ्जावली पेश हुई। बगीछा वादी ने तलवी परिभाषी जग हेतु सम्मन तलवाना पेश करने पुनः अवसर चाहा। बगीछा वादी के अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। बगीछा वादी ने कृपण किया कि आज पेशी पर तलवी पेश नहीं होई वा बाद के खासि करवा लेंगा। अतः पञ्जावली वापस तलवी दिनांक 21/3/22 को पेश हो।

29/3/22

पञ्जावली पेश हुई। आज प्राथमिक मस द्वारा न्यायालय कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पञ्जावली प्राथम कार्यवाही दिनांक 12/3/22 को पेश हो।

ए.सी.ई.एम. (फा. दे.)  
नवलगढ़

उप.।  
हेतु  
अंतिम अवसर दिया जाये। निम्न दिनांक को पेश हो।

ए.सी.ई.एम. (फा. दे.)  
नवलगढ़

16/5/22

पञ्जावली पेश हुई। बगीछा वादी उपस्थित। वापस सम्मन तलवाना पेश करने हेतु पुनः अवसर चाहा। न्यायभित्त में अंतिम अवसर दिया जाता है। पञ्जावली दिनांक 16/5/22 को पेश हो।

ए.सी.ई.एम. (फा. दे.)  
नवलगढ़

16/5/22

पञ्जावली पेश हुई। वकील एवं बगीछा वादी के गार-गार भाषाज अजवाइ जारी करण्डु हमीर और से कोई भी आप्रति न्यायालय नहीं होने से बाद वादी जदम खानली एवं जदम खानी में खासि किया जाता है। पञ्जावली केवल सुमाट हेतु ही तलवा के अंतिम तथा बाद तलमीत जाया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए.सी.ई.एम. (फा. दे.)  
नवलगढ़